प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

(सदस्य–साबिर अहमद खान)

Registration No. MACC/1664/2022

Filling No.MACC/19342/2022

CNR No.MP0701-02506-2022

Filling Date-28-09-2022

	जयभान पुत्र श्री बनवारी लाल, आयु 21 वर्ष, निवासी–ग्राम मथुरापुर पंचायत नंदपुरा थाना देवगढ़ तहसील जौरा जिला मुरैना हाल निवासी–ग्राम पुरानी छावनी ग्वालियर म.प्र.	**......आवेदक**
	बनाम	
1.	बनवारी लाल बघेल पुत्र श्री विशम्भर बघेल, आयु वयस्क, निवासी–ग्राम बागचीनी पोस्ट बागचीनी, जिला मुरैना म.प्र. हाल निवासी–ग्राम मथुरापुर पंचायत नंदपुरा थाना देवगढ़ तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र. **(वाहन चालक व स्वामी ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989)**	
2	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिवीजनल कार्यालय–थर्ड फ्लोर ऑरियन टॉवर 11 सिटी सेंटर ग्वालियर मध्यप्रदेश **(बीमा कंपनी)**	**...अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा **श्री ज्ञानसिंह यादव** अधिवक्ता।
अनावेदक क्र.1 एकपक्षीय।
अनावेदक क्र.2 द्वारा **श्री व्ही.के.अग्रवाल** अधिवक्ता।

:: **अधिनिर्णय** ::

(आज दिनांक **28.10.2025** को घोषित)

1- आवेदक की ओर से यह दावा धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत मोटर दुर्घटना दिनांक 22.02.22 में उसे आई गंभीर उपहति से हुई स्थाई अयोग्यता के सम्बन्ध में विभिन्न मदों में प्रतिकर राशि रूपये 46,00,000/- एवं दुर्घटना दिनांक से अदायगी दिनांक तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- आवेदन संक्षेप में यह है कि :-

(i) दिनांक 22.02.22 रात 3 बजे लगभग आवेदक ट्रक क्रमांक-एम.पी.06-एच.सी.0989 पर क्लीनर के रूप में पदस्थ होकर हरद्वारा से ट्रक में सीमेंट भरकर इटावा के लिये जा रहे थे जैसे ही एच.पी. पेट्रोल पंप भगैला के पास आये कि तभी अनावेदक क्र.1 ने अपने ट्रक क्रमांक-एम.पी.06-एच.सी.0989 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आगे जा रहे ट्रक क्रमांक-यू.पी.15-बी.टी.6882 में पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिससे आवेदक ट्रक क्रमांक-एम.पी.06-एच.सी.0989 की केबिन में दब गया और जिस कारण आवेदक को दांये पैर की जांघ की हड्डी में, दांये पैर की पिंडली की हड्डी में, दांये पैर के पंजे में फ्रेक्चर हो गया एवं दांये पैर की पिंडली का मांस निकल गया तथा शरीर में अन्य जगह गंभीर चोटें आई।

(ii) उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना खतौली जिला

मुजफ्फर नगर पर अपराध क्रमांक–69/2022 पर धारा 279, 427 एवं 304ए भा.दं.वि. के तहत दर्ज की गयी। आवेदक को फ्रैक्चर कारित होने पर पुलिस थाना खतौली द्वारा धारा 338 भा.दं.वि. का इजाफा किया। दौराने अनुसंधान अनावेदक क्रमांक–1 को गिरफ्तार किया गया व न्यायालय से जमानत पर छोड़ा गया पुलिस थाना खतौली द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 को जप्त किया गया जिसे अनावेदक क्र.1 ने न्यायालय से अपनी सुपुर्दगी में लिया गया। उक्त अपराध का अनावेदक क्र.1 को दोषी पाते हुए धारा 279, 427, 304ए भा.दं.वि. के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(iii) उक्त दुर्घटना के बाद आवेदक को दिनांक 22.02.22 को प्रायवेट रूप से सैनी हॉस्पीटल ले गया जहां आवेदक की चोटों की जांच की गयी और दांये पैर का ऑपरेशन कर रॉड डाली गई तथा दांये पैर की टीबिया फ्युब्ला हड्डी का ऑपरेशन कर प्लेट डाली गई पिंडली का मांस निकल जाने के कारण आवेदक की स्किन ग्राफ्टिंग की गयी तथा बीच बीच में दिखाने की सलाह के साथ दिनांक 20.03.2022 को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद आवेदक को पुनः बांये पैर में परेशानी आने पर आवेदक ने दिनांक 15.04.2022 को दिखाया गया जहां डॉक्टरों ने दवा आदि लिखकर बांये पैर की हड्डी में दुर्घटना के कारण अधिक गेप हो जाने के कारण हड्डी को बढ़ाने के लिये बाहरी फिक्सेटर मशीन लगाई। आवेदक का इलाज आज भी

जारी है और भविष्य में काफी रूपया व्यय होने की पूरी संभावना है। दुर्घटना से पूर्व आवेदक 21 वर्ष का स्वस्थ तंदुरूस्त व्यक्ति होकर ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 पर क्लीनर का कार्य करता था जिससे आवेदक को प्रतिमाह 10,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन एवं प्रतिदिन 200/– रूपये खाना भत्ता प्राप्त होना था। आवेदक को कुल 16,000/– रूपये प्रतिमाह प्राप्त होते थे जिससे आवेदक का एवं उसके परिवार का भरण पोषण होता था। दुर्घटना के कारण आवेदक को अपनी समस्त नित्य क्रियायें बिस्तर पर ही लेटे–लेटे करनी पड़ी जिससे आवेदक को मानसिक शारीरिक कष्ट का सहना पड़ा। उक्त दुर्घटना में वर्तमान में आवेदक के दांये पैर की जांघ की हड्डी में तथा दांये पैर के पंजे में एवं पिंडली में फ्रैक्चर हो जाने के कारण दांया पैर पूरी तरह से खराब होकर टेड़ा हो गया है जिसके कारण आवेदक को दांये पैर में स्थाई अशक्तता आ गयी है जिससे आवेदक अपना क्लीनरी का कार्य करने में एवं अन्य दैनिक कार्यों को भी करने में पूर्णतः असमर्थ हो गया है। घटना दिनांक 22.02.22 को अनावेदक क्र.1 उक्त ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 का चालक व स्वामी था एवं उक्त वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्र.2 की बीमा कंपनी में बीमित था अतः आवेदक ने अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः विभिन्न मदों में 46,00,000/– रूपये क्षतिपूर्ति राशि एवं दुर्घटना दिनांक से अदायगी दिनांक तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

3- अनावेदक क्र.01 प्रकरण में एकपक्षीय रहा है उसकी ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।

4- अनावेदक क्र.2 की ओर से आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित अधिकांश अभिवचनों से इन्कार करते हुए विशेष आपत्तियों में यह अभिवचन किया है कि आवेदक की प्रश्नगत वाहन से कथित कोई घटना नहीं हुई है। यही कारण है कि उसके द्वारा कोई भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है और साथ ही प्रस्तुत की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन नंबर एम.पी.06–एच.सी.0989 के चालक का उल्लेख है। कथित वाहन दुर्घटना के समय आवेदक न तो वाहन में बैठकर जा रहा था और न ही वाहन में बैठकर जाते समय उसकी कोई दुर्घटना हुई है और न ही आवेदक वाहन का क्लीनर था। प्रश्नगत वाहन को आगे जा रहे अन्य ट्रक नंबर यू.पी.15–बी.टी. 6882 में पीछे से टकरा जाना बताया है जिस हेतु आगे जा रहे ट्रक के द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने से उस हेतु उक्त अन्य ट्रक ही एकमात्र रूप से उत्तरदायी है तथा साक्ष्य उपरांत प्रकरण में दोनों वाहनों की तेजी व लापरवाही प्रमाणित पाई जाने पर तदानुसार आनुपातिक उत्तरदायित्व निराकरण योग्य है। प्रश्नगत वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत व्यावसायिक माल परिवहन यान के रूप में बीमित किया गया है किन्तु उसे कथित समय पर बीमाधारक की जानकारी एवं सहमति से किराया लेकर अनाधिकृत रूप से आवेदक सहित कई सवारियों के परिवहन करने हेतु पॉलिसी से भिन्न आशय

हेतु चलाये जाने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होकर अनावेदक क्र.2 क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायित्व नहीं है।

5- अनावेदक क्र.2 ने आगे अभिवचन किया है कि प्रश्नगत वाहन में आवेदक बैठकर यात्रा कर रहा था जो किराए वाले यात्री के रूप में वाहन में बैठकर जाने से तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं आता है तथा आवेदक की स्थिति एक वेतनभोगी क्लीनर की नहीं है। साथ ही बीमा पॉलिसी के तहत वेतन भोगी कर्मकार से भिन्न अन्य किसी भी कर्मकार की कोई जोखिम भी कवर नहीं है और न ही कोई बीमा संविदा है। प्रश्नगत वाहन चालक के पास कथित समय पर प्रश्नगत वाहन चलाने हेतु कोई भी वैध एवं प्रभावी लायसेंस न होने से, बिना वैध परमिट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र एवं स्वयं वाहन के स्वामी/बीमाधारक के द्वारा ही वाहन को चलाया जाना बताए जाने से ऐसे लायसेंस के अभाव में वाहन को चलाये जाने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का सारभूत उल्लंघन होने से अनावेदक क्र.2 क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। प्रकरण में धारा 158(6) मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अतः उनके विरूद्ध आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6- उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर अधिकरण द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित वाद–प्रश्नों की रचना की है, जिनके सम्मुख विवेचन उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं:–

क	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या घटना दिनांक 22.02.2022 को रात्रि के 03.00 बजे एच.पी.पेट्रोल पम्प भगोली, खतौली अन्तर्गत थाना खतौली जिला मुजफ्फर नगर में अनावेदक क्रमांक–1 ने स्वयं के नियोजन में रहते हुए उसके स्वत्व के वाहन ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 को तेजी व लापरवाही से चलाकर ट्रक क्रमांक–यू.पी.15–बी. टी.6882 में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	**''प्रमाणित''**
2	क्या उक्त वाहन दुर्घटना में आहत जयभान को गंभीर उपहति होकर स्थाई निशक्तता कारित हुई?	**''घोर उपहति कारित होकर 55 प्रतिशत स्थाई निशक्तता कारित होना प्रमाणित''**
3	क्या उक्त वाहन दुर्घटना ट्रक क्रमांक–यू.पी. 15–बी.टी.6882 की योगदायी उपेक्षा के परिणामस्वरूप घटित हुई ?	**'अप्रमाणित''**
4	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी. 0989 को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	**''अप्रमाणित''**
5	क्या मोटर यान अधिनियम की धारा 158(6) के प्रावधान का पालन नहीं होने के आधार पर अनावेदक बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति दायित्व से उन्मुक्ति की पात्र है ?	**'अप्रमाणित''**
6	क्या आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किससे व कितनी ?	**''आंशिक रूप से प्रमाणित, आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः राशि 16,69,543/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारी''**
7	सहायता एवं व्यय ?	**''अधिनिर्णय के पैरा–56 अनुसार''**

//निष्कर्ष के आधार//

वाद प्रश्न कमांक–(1) व (3)

7- उक्त दोनों वाद प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण दोनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8- आवेदक ने अपने दुर्घटना दावा आवेदन पत्र में किये गये अभिवचनों के समर्थन में स्वयं जयभान (आ.सा.2) को परीक्षित कराते हुए अपने अभिवचनों की पुष्टि कर यह भी उल्लेख किया है कि वह दिनांक 22.02.2022 को रात 3 बजे के लगभग अपने ट्रक कमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 पर क्लीनर के रूप में पदस्थ होकर हरिद्वार से सीमेंट का सामान लेकर इटावा जा रहा था जैसे ही उनका ट्रक बघेला पैट्रोल पम्प, थाना खतौली, जिला मुजफ्फर नगर उत्तरप्रदेश के पास पंहुचा कि तभी अनावेदक क.1 ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनके आगे जा रहे ट्रक यू.पी.15–बी.टी. 6882 में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गये। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट उनके आगे जा रहे ट्रक के चालक ने दर्ज करायी थी उनके ट्रक कमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 को उसके पिता बनवारी स्वयं चला रहे थे। दुर्घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 तथा फाईनल रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है।

9- आवेदक के मुख्य परीक्षण से ही यह स्पष्ट है कि अनावेदक क.1 प्रश्नगत वाहन एम.पी.06–एच.सी.0989 का चालक व मालिक होने के साथ ही आवेदक का पिता है अर्थात् आवेदक अपने

पिता के ट्रक पर ही क्लीनरी का कार्य कर रहा था जिससे उसके अनावेदक के जवाबदावा अनुसार अनाधिकृत किराया यात्री के रूप में वाहन में बैठकर यात्रा करने के तथ्य का खण्डन होता है जिसके संबंध में अनावेदक की ओर से भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रमाणित हुआ है कि आवेदक जयभान प्रश्नगत वाहन एम. पी.06–एच.सी.0989 में क्लीनर की हैसियत से कार्यरत कार्य कर रहा था तथा वह वाहन के चालन के लिये आवश्यक व्यक्ति है।

10- आवेदक जयभान (आ.सा.2) द्वारा मुख्य परीक्षण में दी गयी साक्ष्य की सत्यता परखने हेतु अनावेदक क्र.2 की ओर से विस्तृत प्रति परीक्षण किया गया है जिसमें साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन क्रमांक–एम.पी.07–एस.सी.0989 पर क्लीनर के रूप में पदस्थ होने के संबंध में उसके नाम का कहीं भी आपराधिक दस्तावेजों में उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में प्रदर्श पी–2 लगायत 4 की घटना के जो आपराधिक दस्तावेज पेश किये हैं उन दस्तावेजों में उसके दुर्घटना में चोट आने के रूप में अथवा दुर्घटना के समय उसके होने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है किन्तु दुर्घटना दिनांक 22.02.2022 को ही प्रश्नगत वाहन क्रमांक–एम.पी.07–एच.सी.0989 के चालक अनावेदक क्र.1 द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर आगे जा रहे ट्रक क्रमांक–यू.पी.15–बी.टी.6882 में पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने पर उक्त ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसके ड्रायवर की

वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर प्रदर्श पी–2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.02.2022 को ही थाना खतौली जिला मुजफ्र नगर में अपराध क्रमांक–69/2022 पर दर्ज की गयी है तथा उक्त वाहन दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्र.1 व उसके पुत्र (क्लीनर) आवेदक के भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर प्रदर्श पी–212 व 213 की एम.एल.सी. भी संलग्न है जिसमें रोड ट्रेफिक एक्सीडेंट के कारण अनावेदक क्र.1 बनवारी लाल का उसके पुत्र जयभान के साथ आहत अवस्था में अस्पताल लाये जाने पर उन्हें आई उपहतियों का उल्लेख करते हुए एम.एल.सी. रिपोर्ट बनाई गई है जो कि एक स्वाभाविक तथ्य है कि आगे चल रहे ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक चालक द्वारा उपेक्षा व लापरवाही से ट्रक चलाते हुए टक्कर मारने पर पीछे के ट्रक के चालक तथा उसके कैबिन में बैठे क्लीनर को उपहति आना स्वाभाविक है तथा उक्त ट्रक चालक की उपेक्षा व लापरवाही की रिपोर्ट स्वयं वाहन चालक नहीं करेगा तथा उसमें बैठा क्लीनर स्वयं आहत होने की दशा में ट्रक चालक का ही पुत्र होने की दशा में उसके द्वारा भी तत्काल रिपोर्ट करना संभव नहीं है जबकि प्रदर्श पी–2 की रिपोर्ट में पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक का नंबर एम.पी. 06–एच.सी.0989 स्पष्ट रूप से लिखा जाकर उक्त वाहन के ही चालक अनावेदक क्र.1 के विरूद्ध प्रदर्श पी–4 का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त वाहन दुर्घटना में ही आवेदक को उपहतियां आना बताया गया है। इसलिये आवेदक द्वारा रिपोर्ट लेख

न कराये जाने से प्रश्नगत वाहन दुर्घटना होने के तथ्य का खण्डन नहीं होता है तथा आवेदक को आई उपहतियां उक्त वाहन दुर्घटना का ही परिणाम रही है।

11- यद्यपि प्रकरण में आवेदक की ओर से आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों को सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया है, लेकिन आवेदक ने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की हैं। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **अनिल तिवारी विरूद्ध साहिब सिंह 2000(1) एम.पी.एल.जे. 59** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों को ठोस सबूतों से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

12- अनावेदक क्र.01 की ओर से घटना दिनांक 22.02.2022 के संबंध में दुर्घटना कारित ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 के चालक व मालिक अनावेदक क्र.1 होने के संबंध में कोई खण्डन नहीं किया गया है तथा स्वयं उपस्थित होकर प्रश्नगत वाहन दुर्घटना के घटित न होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

13- अनावेदक क्र.2 ने अपने जवाब में उक्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए प्रश्नगत कार से कोई दुर्घटना न होने तथा आवेदक व अनावेदक क्र.1 के मध्य दुरभि संधि कर यह दुर्घटना दावा प्रस्तुत किये जाने का अभिवचन किया है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 170 मोटर यान अधिनियम भी प्रस्तुत किये जाने

पर आदेश पत्रिका दिनांक 27.05.2024 अनुसार अनावेदक क्र.2 को समस्त बिन्दुओं पर बचाव की अनुमति दी गयी थी।

14- आरक्षी केन्द्र खतौली जिला मुजफ्फर नगर ने अपराध क्रमांक–69/2022 पर अपराध दर्ज होने के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी ने विवेचना के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य एवं अनुसंधान के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अनावेदक क्र.1 के विरूद्ध प्रदर्श पी–04 का अभियोग पत्र धारा 279, 304–ए, 427 भा.दं.वि. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें आरोपी वाहन चालक अनावेदक क्र.1 बनवारी लाल बघेल की उपेक्षा व लापरवाही से उक्त वाहन दुर्घटना घटित होने का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर चालान प्रस्तुत किया गया है।

15- अनावेदक क्र.02 ने अपने तर्क में वाहन ट्रक क्रमांक–यू.पी.15–बी.टी.6882 की योगदायी उपेक्षा होने का तर्क किया है, किन्तु दुर्घटना में वाहन ट्रक क्रमांक–यू.पी.15–बी.टी.6882 की योगदायी उपेक्षा थी इस संबंध में अनावेदक क्र.2 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं आवेदक जयभान (आ.सा.2) से भी ट्रक क्रमांक–यू.पी.15–बी.टी.6882 की योगदायी उपेक्षा के संबंध में कोई प्रति परीक्षण नहीं किया है। उक्त साक्षी के प्रति परीक्षण से ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आये जिससे ट्रक क्रमांक–यू.पी.15–बी.टी.6882 की योगदायी उपेक्षा की पुष्टि होती हो।

16- इस प्रकार वर्तमान मामले में योगदायी उपेक्षा की परिस्थिति प्रमाणित नहीं होती है। जैसा कि **न्याय दृष्टांत मीरादेवी विरूद्ध एच.आर.डी.सी. 2014 (2) टी.ए.सी. 1 (एस.सी.)** में कहा गया है कि:—

> To prove the contributory negligence, there must be cogent evidence. In the instant case, there is no specific evidence to prove that the accident has taken place due to rash and negligent driving of the deceased scooterist. In the absence of any cogent evidence to prove the plea of contributory negligence, the said doctrine of common law

17- अनावेदक क्र.1 स्वयं उपस्थित होकर उक्त तथ्य का खण्डन कर सकता था कि वह उक्त वाहन दुर्घटना में संलिप्त नहीं रहा है। ऐसी दशा में अनावेदक क्र.1 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र पर इस स्टेज पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत **न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध अखिलेश द्विवेद्वी एवं अन्य 2007(II) एम.पी.डब्लू.एन. 21** में निर्धारित किया गया है कि उल्लंघनकारी यान के चालक की परीक्षा न किये जाने से दावेदार द्वारा साबित उपेक्षा खण्डित नहीं हुई है।

18- न्याय दृष्टांत **कुन्दरूवेंकट रेड्डी विरूद्ध कोण्डापली उपेन्द्र रेड्डी एवं अन्य 2014 ए.सी.जे. 1419** में निर्धारित किया गया है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र दुर्घटना संबंधी तथ्य को साबित

करता है, ऐसे अभियोग पत्र के आधार पर क्लेम प्रकरण योग्य है। न्याय दृष्टांत **शिवराम विरूद्ध मोहम्मद शरीफ लॉ एम.पी.एच. 2007–8–74, निराकरण माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश दिनांक 17/08/2007** में निर्धारित किया गया है कि ट्रक ड्रायवर ने स्वयं को परीक्षित नहीं कराया और उसके द्वारा ट्रक चालन का खण्डन नहीं किया गया। ऐसी दशा में दुर्घटनाकारक वाहन चालक की साक्ष्य न होना उसकी स्वयं उपेक्षा सिद्ध करती है। न्याय दृष्टांत **मोहम्मद आजाद उर्फ अज्जू विरूद्ध महेश एवं अन्य 2015(1) एम.पी.डब्लू.एन. 31** में भी यह निर्धारित किया गया है कि यान दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त नहीं था, यह साबित करने का भार प्रत्यर्थीगण पर था, क्षतिपूर्ति के दावे में वह अपने भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वर्णित यान से दुर्घटना नहीं हुई। न्याय दृष्टांत **जैनाबाई विरूद्ध आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी सिविल अपील क0 21077/ 2019 एस.सी.सी., निराकृत दिनांक 10 अगस्त, 2022** में यह निर्धारित किया गया है कि यदि यह स्वीकृत है कि रजिस्टर्ड वाहन के ड्रायवर द्वारा उसके विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत होने की दशा में तथा वाहन जप्त करने पर उसने उसके विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में एफ.आई.आर. क्वैश करने हेतु प्रोसिडिंग प्रारम्भ नहीं की है, उक्त तथ्य स्वीकृत होने की दशा में मोटर दुर्घटना मुआवजे की मांग करने वाले आवेदन पर फैसला करते हुए आपराधिक ट्रायल में आरोपों को साबित करने जैसे

साक्ष्य के नियम का उपयोग नहीं किया जा सकता।

19- अनावेदक क्र.01 बनवारी लाल बघेल के विरूद्ध ही सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात् धारा 279, 304ए, 427 भा.दं.वि. के अपराध के लिए अभियोग पत्र (प्रदर्श पी–4) प्रस्तुत किया गया है।

20- आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ फर्जी हों, ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि आवेदक ने पुलिस से मिलकर कोई असत्य मामला बनाया हो। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकरण में उपलब्ध नहीं है।

21- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय दृष्टांत **Bimla Devi Vs. Himachal Road Transport Corporation (2009)13 SCC 530** में यह अभिनिर्धारित किया है कि दुर्घटना के मामलों में इस बात को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि किसी वाहन के द्वारा किसी रीति विशेष से दुर्घटना कारित होने का यथावत सबूत देना दावेदार के लिए सम्भव नहीं होता है, दावेदार को मात्र अपना मामला अधिसंभाव्यवता की प्रबलता की कसौटी पर ही खरा उतरना होता है जो कि अर्थात् सबूत को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का मानदण्ड इस प्रकार के दावों में लागू नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **Kusum Vs. Satveer, 2011(1) ANJ 266 (SC)** अवलोकनीय है।

22- उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा प्रकट हुई परिस्थितियों से संभावना की अधिसंभाव्यता के सिद्धान्त के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक 22.02.2022 को रात्रि के 03.00 बजे एच.पी.पेट्रोल पम्प भगोली, खतौली अन्तर्गत थाना खतौली जिला मुजफ्फर नगर में अनावेदक क्रमांक–1 ने स्वयं के नियोजन में रहते हुए उसके स्वत्व के वाहन ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 को तेजी व लापरवाही से चलाकर ट्रक क्रमांक–यू.पी.15–बी.टी.6882 में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की। उक्त दुर्घटना में ट्रक क्रमांक–यू. पी.15–बी.टी.6882 की कोई योगदायी उपेक्षा नहीं थी।

23- अतः इस वाद प्रश्न क्रमांक–(1) का निराकरण आवेदक के पक्ष में **'प्रमाणित'** के रूप में एवं वाद प्रश्न क्रमांक–(3) का निराकरण **''अप्रमाणित''** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक–(2)–:

24- आवेदक जयभान (आ.सा.2) ने अपनी मौखिक साक्ष्य में भी यह स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के बाद उसे सर्वप्रथम सैनी हॉस्पीटल मेरठ ले जाया गया, जहां उसकी चोटों की जांच की गई और दवा के इंजेक्शन दिये गये। उसके दोनों पैरों का ऑपरेशन कर रॉड डाली गयी और बांयी पिंडली का मांस निकल जाने के कारण स्कीन ग्राफ्टिंग की गयी थी और दिनांक 20.03.2022 को उसे

डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद उसे बांये पैर में परेशानी आने के कारण वह पुनः शुभम हॉस्पीटल में भर्ती हो गया था जहां वह लगभग 01 माह तक भर्ती रहा था। दिनांक 02.04.2022 को वह परिधि हॉस्पीटल में भी भर्ती हुआ था जहां उसका इलाज चला था। उसके बांये पैर की हड्‌डी में काफी गेप हो जाने के कारण उसे जोड़ने के लिये उसके बांये पैर में फिक्सेटर मशीन लगाई गई थी जो लगभग डेढ़ वर्ष तक उसके पैर में लगी रही थी जिसे बाद में शुभम हॉस्पीटल में डॉक्टरों द्वारा निकाला गया था। वर्तमान में वह बांये पैर से चलने फिरने में असमर्थ हो गया है तथा उसे स्थाई अशक्तता कारित हुई है। उसके इलाज के बिल पर्चे कैश मैमो प्रदर्श पी–5 लगायत पी–208 हैं। उसे बांये पैर में स्थाई अशक्तता कारित हुई है। उसका विकलांगता प्रमाण पत्र फार्म प्रदर्श पी–209 है तथा विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–210 है तथा उसकी विकलांगता आई.डी. प्रदर्श पी–211 है जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी–209सी लगायत प्रदर्श प–211सी है। उसकी एक्सरे प्लेटें आर्टिकल–1 लगायत आर्टिकल–16 हैं। वह अब क्लीनरी का कार्य करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया है। उसकी मेरठ हॉस्पीटल में हुई एम.एल.सी. प्रदर्श पी–212 है।

25- जयभान (आ.सा.2) ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मेरठ हॉस्पीटल में जो इलाज होना बताया है उस संबंध में कोई भी डिस्चार्ज टिकिट आदि प्रकरण में पेश नहीं किया है,

उसके दोनों पैरों का ऑपरेशन होने व रॉड डालने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। साक्षी ने स्वतः कहा है कि इलाज के बिल पेश किये हैं। साक्षी ने इस सुझाव में कहा है कि उसने प्रकरण में जो अपनी चोटें आना बतायी है वह उसकी प्रश्नगत दुर्घटना से संबंधित नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रदर्श पी–5 लगायत 208 के दस्तावेज उसके द्वारा बतायी जा रही दुर्घटना में आई चोटों के इलाज से संबंधित नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आर्टिकल ए–1 लगायत ए–16 के साथ उनके एक्सरे इसलिये पेश नहीं किये हैं क्योंकि उन रिपोर्ट में उसके द्वारा कोई असमानता नहीं पायी गयी है।

26- आवेदक की ओर से परिधी हॉस्पीटल ग्वालियर के रिकार्ड कीपर आशना (आ.सा.2) को साक्ष्य में परीक्षित कराया है जिसने अपने कथन में बताया है कि वह आहत जयभान के परिधि अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज से संबंधित असल केसशीट रिकार्ड लेकर आयी है। आहत उक्त अभिलेख के अनुसार दिनांक 02.04.2022 से 11.04.2022 तक भर्ती रहा था जिसका रिकार्ड प्रदर्श पी–1 है। प्रति परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह प्रदर्श प–1 के आहत को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती है और न ही उक्त आहत उसके सामने हॉस्पीटल में भर्ती हुआ था और न ही डिस्चार्ज हुआ। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रदर्श पी–1 का अभिलेख असत्य आधारों पर तैयार कर प्रकरण में पेश किया गया है।

27- आवेदक की ओर से डॉ. आशीष अग्रवाल (आ.सा.3) को परीक्षित कराया है जिसने अपने कथन में बताया है कि वह जिला चिकित्सालय मुरैना में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ है। दिनांक 21.08.2024 को जिला चिकित्सालय मुरैना विकलांगता बोर्ड में ड्यूटी थी उसी दिनांक को उसने अपने साथी चिकित्सक एवं बोर्ड के सदस्य आर.पी.सिंह, बोर्ड चेयरमेन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. गजेन्द्र सिंह तोमर के साथ मौजूद था। उक्त दिनांक को आहत जयभान बघेल अपनी विकलांगता का आकलन कराने के लिये उपस्थित हुआ था। बोर्ड के द्वारा आहत का शारीरिक परीक्षण किया गया। नये, पुराने एक्सरे का अवलोकन किया गया। आहत के दांये एवं बांये दोनों पैरो में फुट ड्रॉप था (आहत के पैर के दोनों पंजे नीचे की तरफ लटके हुए थे जो कि आहत उपर करने में असमर्थ था) बांये पैर के टखने एवं पैर के पंजे में एकायलॉसेस मौजूद था। बांये टखने में कोई भी चाल मौजूद नहीं थी। ऑस्टीयो मलाईटस मौजूद था। बांये टखने एवं पंजे पर सेंसेशन कमजोर था। ''छूने से सामान्य से बहुत कम पता पड़ रहा था।'' आहत जयभान बघेल की दिव्यांगता का पतिशत जिला विकलांग बोर्ड के द्वारा 55 प्रतिशत स्थाई प्रकृति का आंकलित किया गया। प्रदर्श पी–209 सी के आधार पर ही आहत का डिजिटल डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र प्र.पी.210 जारी किया गया। उसने जिस व्यक्ति का परीक्षण कर प्रमाण पत्र दिया है वह व्यक्ति क्लीनरी जैसा कार्य करने के लिये असमर्थ रहेगा।

28- डॉ. अशीष अग्रवाल (आ.सा.3) ने प्रति परीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि मेडीकल बोर्ड द्वारा आहत का कोई साईन्टिफिक टेस्ट नहीं किया गया। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आहत को केवल भौतिक परीक्षण कर मेडीकल प्रमाण पत्र जारी किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जो आहत को 55 प्रतिशत विकलांगता दिये जाने का उल्लेख किया है इस संबंध में गुणांक प्रकृति का प्रदर्श पी–209 में उल्लेख नहीं है कि किस विधि के आधार पर दिया गया है। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसके द्वारा उक्त मरीज का परीक्षण केसलर विधि एवं भारत सरकार के विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर इसका आकलन किया गया है। विकलांगता प्रमाण पत्र यदि एक पैर के घुटने से कटने की स्थिति में जारी किया जावे तो वह 75 प्रतिशत होगा। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत का कोई पैर विच्छेद नहीं था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने जो विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया है वह शरीर के केवल एक भाग की प्रतिशतता के आधार पर जारी किया गया है। साक्षी ने स्वतः कहा है कि सम्पूर्ण शरीर की विकलांगता के हिसाब से निर्धारित किया है साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्र.पी.209सी एवं 210सी का प्रमाण पत्र उसके द्वारा कर्मकार प्रतिकार अधिनियम में दिये गये प्रावधान से अधिक विकलांगता दर्शाते हुए गलत रूप से जारी किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि प्र.पी.

209सी एवं 210सी का प्रमाण पत्र उसके द्वारा मरीज से अनुचित लाभ लेकर उसे अनुचित लाभ पंहुचाने के लिये उसके द्वारा गलत जारी किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि मरीज को कोई 55 प्रतिशत विकलांगता नहीं है।

29- न्यायालय द्वारा भी डॉ. आशीष अग्रवाल (आ.सा.3) से उसके द्वारा जारी किये गये विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–209सी एवं 210सी के संबंध में आवेदक को पूर्व जनिक किसी बीमारी से ग्रसित या पोलियो एवं पैरालायसिस जैसी बीमारी से ग्रसित होने के संबंध में क्योरी की गयी जिस पर उन्होंने आहत के इलाज के पर्चे व शारीरिक परीक्षण के उपरांत यह निश्चित हो जाना बताया है कि पूर्वजनित किसी बीमारी से ग्रसित नहीं था उसके पैरों में आई कमी दुर्घटना का ही परिणाम थी तथा यह भी स्पष्ट किया है कि उसने आहत को जो 55 प्रतिशत विकलांगता दिये जाने का प्रमाण पत्र जारी किया है वह सम्पूर्ण शरीर की विकलांगता के हिसाब से निर्धारित किया है। ऐसी दशा में आवेदक जबकि एक क्लीनर का कार्य करता रहा है तथा उसके दोनों पैरों में विकलांगता आने की दशा में निश्चित ही वह अपने कार्य से प्रभावित होगा ऐसी दशा में उसकी विकलांगता का 55 प्रतिशत चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उचित प्रतीत होता है तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि आहत जयभान 55 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित हुआ था।

30- उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आहत जयभान को घोर उपहति कारित होकर उसे 55 प्रतिशत की स्थाई अशक्तता प्रमाणित हुई है। अतः इस वाद प्रश्न क्रमांक–(2) का निराकरण **"आवेदक को घोर उपहति कारित होकर 55 प्रतिशत स्थाई विकलांगता कारित होना प्रमाणित"** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक–(4)–:

31- यह वाद प्रश्न अनावेदक क्र.02 द्वारा अपने जवाब में ली गई आपत्ति के आधार पर विरचित किया गया है, इस वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्र.02 पर था। अनावेदक क्र.2 ने अपने जवाब में अनावेदक क्र.1 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए घटना दिनांक को वैध व प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति, परमिट एवं फिटनेस न होना लेख किया है किन्तु अनावेदक की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 01 द्वारा ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 को बीमा पॉलिसी के शर्तों के उल्लंघन में उपयोग–उपभोग किया जा रहा था।

32- आवेदक की ओर से प्रस्तुत बीमा पॉलिसी की प्रति से यह प्रकट है कि घटना दिनांक को ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी. 0989 अनावेदक क्र.2 की बीमा कंपनी में बीमित था।

33- दुर्घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में दुर्घटनाकारक वाहन को चलाया जा रहा हो, इस सम्बन्ध में प्रकरण

में कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः इस वाद प्रश्न क्रमांक–(4) का निराकरण अनावेदक क्र.02 के विरूद्ध **'अप्रमाणित'** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक–(5)–:

34- अनावेदक क्र.2 बीमा कंपनी ने अपने जवाब में एम. व्ही.एक्ट की धारा 158(6) का अनुपालन न करने के आधार पर सोची समझी साजिश के तहत असत्य एवं गलत रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के आशय से यह दावा प्रस्तुत करना बताया है किन्तु अधिकरण के मत में उक्त धाराओं के अनुपालन करने की जिम्मेदारी संबंधित आरक्षी केन्द्र पर है। उनके द्वारा उक्त प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने से आहत पक्ष जो कि तृतीय पक्ष है, को क्षतिपूर्ति देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अनावेदक क्र.2 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिसमें आवेदक व अनावेदक क्र.1 के मध्य कोई सोची समझी साजिश के तहत दुरभि संधि कर यह दुर्घटना दावा प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता हो।

35- उक्त विवेचना के आलोक में वाद प्रश्न क्रमांक–(5) का निराकरण नकारात्मक रूप से करते हुये **''अप्रमाणित''** का निष्कर्ष दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक–(6)–:

36- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **राजकुमार**

विरूद्ध अजय कुमार, (2011) 1 एस.सी.सी. 343 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अधिकरणों को चोटों के मामले में वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों शीर्षों में प्रतिकर दिलाना चाहिये। गैर वित्तीय शीर्ष में शारीरिक पीड़ा, मानसिक वेदना, रमणीयता की हानि, लंबे जीवन की प्रत्याशा में कमी, भविष्य के इलाज जैसे शीर्ष बतलाये गये हैं, जबकि वित्तीय शीर्ष में इलाज में हुआ खर्च, दवाईयॉ, आवागमन व्यय, इलाज के दौरान की आमदनी की हानि, स्थाई अयोग्यता के कारण भविष्य की आमदनी की हानि, भविष्य खर्च, अटेंडर व्यय, जैसे शीर्ष बतलाये गये हैं।

37- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रेखा जैन विरूद्ध नेशनल इं.कं.लि.ए.आई.आर., 2013 एस.सी. 3429** में भी व्यक्तिगत चोटों के मामले में प्रतिकर के विभिन्न शीर्ष बतलाये हैं। उक्त दोनों मामलों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में आवेदक को प्रतिकर राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

आवेदक की आयु

38- आवेदक जयभान की ओर से अपने आवेदन पत्र में दुर्घटना दिनांक को उसकी आयु 21 वर्ष होने का अभिवचन किया है। आवेदक जयभान (आ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में कथन के समय उसकी आयु 22 वर्ष होने का कथन किया है। आवेदक की ओर से अपनी आयु को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। आवेदक के चिकित्सीय दस्तावेजों में उसकी आयु 22 वर्ष

होना उल्लेखित है। आवेदक की ओर से अपना विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसकी जन्मतिथि 01.01.2000 उल्लेखित है। दुर्घटना दिनांक 22.02.2022 है। आवेदक की उक्त जन्मतिथि के आधार पर उसकी आयु घटना दिनांक को 22 वर्ष 01 माह 21 दिन होना प्रकट होती है। अतः संभावना की अधिसंभाव्यता के आधार पर दुर्घटना दिनांक को आवेदक को 21 से 25 आयु वर्ग का होना मान्य किया जाता है।

आय की हानि

39- आवेदक का यह अभिवचन रहा है कि वह दुर्घटना के पूर्व ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 पर क्लीनर का कार्य करता था जिससे आवेदक को प्रतिमाह 10,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन एवं प्रतिदिन 200/– रूपये खाना भत्ता प्राप्त होता था इस प्रकार आवेदक को कुल 16000/– रूपये प्रतिमाह प्राप्त होते थे जिससे आवेदक का एवं आवेदक के परिवार का भरण पोषण होता था। आवेदक जयभान (आ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दुर्घटना के दो वर्ष पूर्व से ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 पर क्लीनरी का कार्य कर 10,000/– रूपये प्रतिमाह एवं 200/– रूपये प्रतिदिन खाना भत्ता प्राप्त करता। प्रति परीक्षण में साक्षी ने प्रति परीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि बतायी जा रही दुर्घटना के समय वह प्रश्नगत ट्रक पर क्लीनर के रूप में पदस्थ नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वाहन ट्रक क्रमांक–एम.पी. 06–एच.सी.0989 पर क्लीनर का कार्य करने के संबंध में कोई भी

लेखीय प्रमाण पेश नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने 10,000/- रूपये प्रतिमाह एवं 200/- रूपये प्रतिदिन खाना भत्ता प्राप्त करने के संबंध में कोई भी लिखित हिसाब किताब उसके पास मौजूद नहीं है न ही उसने प्रकरण में पेश किये हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह कोई 10,000/- रूपये प्रतिमाह एवं 200/- रूपये प्रतिदिन खाना भत्ता प्राप्त नहीं करता था। ऐसी स्थिति में आवेदक की मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि आवेदक ट्रक क्रमांक-एम.पी.06-एच.सी.0989 पर क्लीनर का कार्य करता था किन्तु उसे उसके पिता/अनावेदक क्र. 1 द्वारा 10,000/- रूपये प्रतिमाह एवं 200/- रूपये प्रतिदिन खाना भत्ता प्रदाय किया जाता था इस संबंध में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य है न ही वेतनदाता को परीक्षित कराया है। ऐसी स्थिति में उसे दैनिक वेतनभोगी अकुशल श्रमिक के रूप में आय अर्जित करना मान्य किया जाता है।

40- इस प्रकरण में यद्यपि आवेदक द्वारा कोई निश्चित आय अर्जित करना प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **गोविन्द यादव विरूद्ध न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (2011)10 एस.सी.सी.683** एवं **किरण देवी विरूद्ध सुरजीत यादव (2010)2 एस.सी.सी.289** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार दुर्घटना दिनांक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में न्यायालय न्यायिक अवेक्षा (Judicial Notice) ले सकता है।

41- दुर्घटना दिनांक 22.02.2022 की है। मध्यप्रदेश राज्य में

दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 की समयावधि में अकुशल श्रमिक हेतु 293/- रूपये की दैनिक मजदूरी कलेक्टर ग्वालियर द्वारा निर्धारित की गयी थी। अधिकरण के मत में माह में 25 कार्य दिवस के व्यवहारिक दृष्टिकोण को लेते हुए आहत की आय की गणना की जानी चाहिये और उक्त के आलोक में आहत की मासिक आय 293 X 25 = 7,325/- रूपये निर्धारित की जाती है।

42- आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **नेशनल इं. कं. लि. विरूद्ध प्रणय सेठी 2017(4) एम.ए.सी.डी.-1375(एस.सी.) निर्णय दिनांक 31/10/17** में न्यायमूर्तिगण की पीठ में निर्णय चरण-60(IV) में यह प्रतिपादित किया है कि जहॉं मृतक स्वनियोजन में हो या उसका एक नियत वेतन हो और उसकी आयु 40 वर्ष से कम हो, वहॉं भविष्य की संभावनाओं के रूप में 40 प्रतिशत आमदनी जोड़ी जानी चाहिये।

43- न्याय दृष्टांत **हेमराज विरूद्ध ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमि.2018 ए.सी.जे.(5)(एस.सी.)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि न्यायालय गैस वर्क के आधार पर जो आमदनी निर्धारित करता है उसमें भी भविष्य की संभावनाओं को विचार में लिया जाना चाहिये। इस मामले में भी न्याय दृष्टांत प्रणय सेठी पर विश्वास आधारित किया गया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **रिलांयस जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध शशि शर्मा, 2018(1) एस.सी. ई. जनरल-276, मुन्नुस्वामी विरूद्ध दी मैनेजिंग डायरेक्टर तमिलनाडू स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, एम.ए.सी.डी.2018(1)(एस.सी.) 50,**

रामारावलाला बोरस` विरूद्ध न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एम.ए.सी.डी., 2018(1) एस.सी. 34, नागरमल विरूद्ध ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एम.ए.सी.डी., 2018(1) एस.सी. 36 अवलोकनीय है, जिनमें निजी सेवाओं वाले व्यक्ति को भी भविष्य की संभावनाओं के लिये उक्त प्रणय सेठी वाले मामले पर विचार करते हुये और उससे मार्गदर्शन लेते हुये भविष्य की आमदनी दिलाई गई है।

44- उक्त विधिक स्थितियों के प्रकाश में इस मामले के तथ्यों को देखें तो इस मामले में आवेदक का क्लीनरी का कार्य करना बताया गया है, उसको 21 से 25 आयु वर्ग का होना प्रमाणित माना गया है। अतः उक्त स्थिति में आवेदक की भविष्य की संभावनायें उसकी आमदनी का 40 प्रतिशत मानी जानी चाहिये अर्थात् उसकी मासिक आमदनी रूपये 7,325/- का 40 प्रतिशत रूपये 1831/- होता है। अतः भविष्य की आमदनी रूपये 1831/- मानी जाने का निष्कर्ष दिया जाता है।

गुणांक के बारे में

45- न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा विरूद्ध देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन 2009, ए.सी.जे. 1298 व नेशनल इं. कं. लि. विरूद्ध प्रणय सेठी, 2017(4) एम.ए.सी.डी. 1375 (एस.सी.)** से मार्गदर्शन लेकर आवेदक को 21 से 25 आयु वर्ग को देखते हुये 18 का गुणांक प्रयुक्त करने का यह उचित मामला है। अतः यह निष्कर्ष दिया जाता है कि इस प्रकरण में प्रतिकर की गणना के लिए 18 का गुणांक प्रयुक्त

किया जाएगा।

स्थाई अयोग्यता की हानि

46- चूँकि आवेदक की आय रूपये 7,325/— प्रतिमाह होना, भविष्य की संभावना रूपये 1831/— प्रतिमाह होना, आवेदक को 21 से 25 आयु वर्ग का होना व आवेदक को 55 प्रतिशत स्थाई अयोग्यता कारित होना प्रमाणित माना गया है, इस आधार पर स्थाई अयोग्यता की हानि 7,325 + 1831= 9,156 X 12 X 18 = 19,77,696/— रूपये होते हैं। यह प्रतिकर राशि आवेदक तब प्राप्त करता जब उसे 100 प्रतिशत स्थाई अयोग्यता कारित होती, परन्तु इस प्रकरण में आवेदक को 55 प्रतिशत स्थाई अयोग्यता कारित होना प्रमाणित माना गया है, इसलिए आवेदक उक्त राशि का 55 प्रतिशत अर्थात् रूपये 10,87,733/— स्थाई अयोग्यता की क्षति के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपचार में हुआ व्यय

47- आवेदक ने अपने दुर्घटना आवेदन पत्र में चोटों के इलाज में 2,00,000/— रूपये खर्च होने का उल्लेख किया है। आवेदक की ओर से अपने इलाज में हुए व्यय के संबंध में बिल एवं पर्चे प्रस्तुत किये हैं जो निम्नानुसार हैं —:

क्र.	प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक	राशि
1.	प्र.पी.5	शर्मा मेडीसिन्स	03.02.22	1490
2.	प्र.पी.6	शर्मा मेडीसिन्स	03.02.22	1817
3.	प्र.पी.7	शर्मा मेडीसिन्स	21.02.22	3787
4.	प्र.पी.8	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी—9 का भाग)	21.02.22	0

5.	प्र.पी.9	शर्मा मेडीसिन्स	21.02.22	12587
6.	प्र.पी.10	रीबान्ता लैबस	22.02.22	0
7.	प्र.पी.11	रीबान्ता लैबस	22.02.22	0
8.	प्र.पी.12	रीबान्ता लैबस	22.02.22	0
9.	प्र.पी.13	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–14 का भाग)	23.02.22	0
10.	प्र.पी.14	शर्मा मेडीसिन्स	23.02.22	5256
11.	प्र.पी.15	शर्मा मेडीसिन्स	24.02.22	6514
12.	प्र.पी.16	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–15 का भाग)	24.02.22	0
13.	प्र.पी.17	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–15 का भाग)	24.02.22	0
14.	प्र.पी.18	शर्मा मेडीसिन्स	25.02.22	10436
15.	प्र.पी.19	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–18 का भाग)	25.02.22	0
16.	प्र.पी.20	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–18 का भाग)	25.02.22	0
17.	प्र.पी.21	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–18 का भाग)	25.02.22	0
18.	प्र.पी.22	जीत पैथालॉजी लैब की रिपोर्ट	25.02.22	0
19.	प्र.पी.23	जीत पैथालॉजी लैब की रिपोर्ट	25.02.22	0
20.	प्र.पी.24	शर्मा मेडीसिन्स	26.02.22	5206
21.	प्र.पी.25	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–24 का भाग)	26.02.22	0
22.	प्र.पी.26	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–24 का भाग)	26.02.22	0
23.	प्र.पी.27	शर्मा मेडीसिन्स	27.02.22	6068
24.	प्र.पी.28	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–27 का भाग)	27.02.22	0
25.	प्र.पी.29	शर्मा मेडीसिन्स	28.02.22	5084
26.	प्र.पी.30	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–29 का भाग)	28.02.22	0
27.	प्र.पी.31	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–33 का भाग)	01.03.22	0
28.	प्र.पी.32	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–33 का भाग)	01.03.22	0
29.	प्र.पी.33	शर्मा मेडीसिन्स	01.03.22	5101
30.	प्र.पी.34	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–35 का भाग)	02.03.22	0
31.	प्र.पी.35	शर्मा मेडीसिन्स	02.03.22	8931
32.	प्र.पी.36	जीत पैथालॉजी लैब की रिपोर्ट	03.03.22	0
33.	प्र.पी.37	मॉर्डन पैथालॉजी लैब की रिपोर्ट	03.03.22	0
34.	प्र.पी.38	जीत पैथालॉजी लैब की रिपोर्ट	03.03.22	0

35.	प्र.पी.39	शर्मा मेडीसिन्स	04.03.22	2622
36.	प्र.पी.40	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–41 का भाग)	05.03.22	0
37.	प्र.पी.41	शर्मा मेडीसिन्स	05.03.22	2273
38.	प्र.पी.42	शर्मा मेडीसिन्स	06.03.22	2521
39.	प्र.पी.43	शर्मा मेडीसिन्स	07.03.22	547
40.	प्र.पी.44	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–45 का भाग)	08.03.22	0
41.	प्र.पी.45	शर्मा मेडीसिन्स	08.03.22	1631
42.	प्र.पी.46	शर्मा मेडीसिन्स	09.03.22	1766
43.	प्र.पी.47	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–46 का भाग)	09.03.22	0
44.	प्र.पी.48	शर्मा मेडीसिन्स	10.03.22	1389
45.	प्र.पी.49	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–48 का भाग)	10.03.22	0
46.	प्र.पी.50	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–51 का भाग)	11.03.22	0
47.	प्र.पी.51	शर्मा मेडीसिन्स	11.03.22	3030
48.	प्र.पी.52	शर्मा मेडीसिन्स	12.03.22	1059
49.	प्र.पी.53	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–54 का भाग)	13.03.22	0
50.	प्र.पी.54	शर्मा मेडीसिन्स	13.03.22	1682
51.	प्र.पी.55	शर्मा मेडीसिन्स	14.03.22	1284
52.	प्र.पी.56	शर्मा मेडीसिन्स	15.03.22	4442
53.	प्र.पी.57	शर्मा मेडीसिन्स	16.03.22	3549
54.	प्र.पी.58	शर्मा मेडीसिन्स	17.03.22	3544
55.	प्र.पी.59	शर्मा मेडीसिन्स	18.03.22	8380
56.	प्र.पी.60	शर्मा मेडीसिन्स	19.03.22	4543
57.	प्र.पी.61	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–60 का भाग)	19.03.22	0
58.	प्र.पी.62	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–60 का भाग)	19.03.22	0
59.	प्र.पी.63	शर्मा मेडीसिन्स	20.03.22	1522
60.	प्र.पी.64	शर्मा मेडीसिन्स (प्रदर्श पी–65 का भाग)	22.03.22	0
61.	प्र.पी.65	शर्मा मेडीसिन्स	22.03.22	3929
62.	प्र.पी.66	शर्मा मेडीसिन्स	22.03.22	7941

63.	प्र.पी.67	शुभम हॉस्पीटल की रसीद	22.03.22	100
64.	प्र.पी.68	आकांक्षा न्यूरोडायग्नोस्टिक सेंटर की रसीद	23.03.22	1500
65.	प्र.पी.69	एस.के.फार्मास्यूटिकल्स की रसीद	24.03.22	57750
66.	प्र.पी.70	एम्पायर डायग्नोस्टिक्स की रसीद	29.03.22	1400
67.	प्र.पी.71	शुभम हॉस्पीटल का बिल	30.03.22	90100
68.	प्र.पी.72	समृद्धी पैथालॉजी की रिपोर्ट	01.04.22	0
69.	प्र.पी.73	पिनेरिक हैल्थ इमेजिंग की रसीद	06.04.22	4500
70.	प्र.पी.74	डॉ.जयदीप कुमार शर्मा की रसीद	11.04.22	4000
71.	प्र.पी.75	शुभम हॉस्पीटल की रसीद	15.04.22	100
72.	प्र.पी.76	आर.एन.ए. पैथलैब की रिपोर्ट	15.04.22	0
73.	प्र.पी.77	आर.एन.ए. पैथलैब की रिपोर्ट	15.04.22	0
74.	प्र.पी.78	एमपायर डायग्नोस्टिक्स की रसीद	16.04.22	1400
75.	प्र.पी.79	आकांक्षा न्यूरोडायग्नोस्टिक सेंटर की रसीद	23.03.22	2500
76.	प्र.पी.80	शिव डाग्नोस्टिक सेंटर की रसीद	29.04.22	600
77.	प्र.पी.81	मेरूत ऑर्थोपेडिक एण्ड रिसर्च सेंटर की रसीद	22.02.22	24000
78.	प्र.पी.82	मेरूत ऑर्थोपेडिक एण्ड रिसर्च सेंटर की रसीद	23.02.22	52000
79.	प्र.पी.83	मेरूत ऑर्थोपेडिक एण्ड रिसर्च सेंटर की रसीद	23.02.22	10000
80.	प्र.पी.84	मेरूत ऑर्थोपेडिक एण्ड रिसर्च सेंटर की रसीद	25.02.22	30000
81.	प्र.पी.85	मेरूत ऑर्थोपेडिक एण्ड रिसर्च सेंटर की रसीद	26.02.22	30000
82.	प्र.पी.86	मेरूत ऑर्थोपेडिक एण्ड रिसर्च सेंटर की रसीद	19.03.22	14000
83.	प्र.पी.87	मेरूत ऑर्थोपेडिक एण्ड रिसर्च सेंटर की रसीद	27.02.22	20000
84.	प्र.पी.88	मेरूत ऑर्थोपेडिक एण्ड रिसर्च सेंटर की	20.03.22	20000

		रसीद		
85.	प्र.पी.89	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	22.03.22	325
86.	प्र.पी.90	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	22.03.22	117
87.	प्र.पी.91	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	22.03.22	60
88.	प्र.पी.92	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	22.03.22	115
89.	प्र.पी.93	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	22.03.22	1049
90.	प्र.पी.94	श्री ब्लड सेंटर की रसीद	23.03.22	2500
91.	प्र.पी.95	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	23.03.22	322
92.	प्र.पी.96	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	23.03.22	146
93.	प्र.पी.97	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	23.03.22	342
94.	प्र.पी.98	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	23.03.22	674
95.	प्र.पी.99	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	23.03.22	730
96.	प्र.पी.100	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	23.03.22	731
97.	प्र.पी.101	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	23.03.22	411
98.	प्र.पी.102	श्री ब्लड सेंटर की रसीद	24.03.22	1250
99.	प्र.पी.103	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	24.03.22	630
100.	प्र.पी.104	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	24.03.22	192
101.	प्र.पी.105	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	24.03.22	161
102.	प्र.पी.106	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	24.03.22	220
103.	प्र.पी.107	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	24.03.22	723
104.	प्र.पी.108	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	24.03.22	2449
105.	प्र.पी.109	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	589
106.	प्र.पी.110	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	802
107.	प्र.पी.111	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	649
108.	प्र.पी.112	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	105
109.	प्र.पी.113	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	194

110.	प्र.पी.114	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	61
111.	प्र.पी.115	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	490
112.	प्र.पी.116	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	344
113.	प्र.पी.117	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	18
114.	प्र.पी.118	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	25.03.22	198
115.	प्र.पी.119	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	1551
116.	प्र.पी.120	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	754
117.	प्र.पी.121	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	159
118.	प्र.पी.122	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	981
119.	प्र.पी.123	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	60
120.	प्र.पी.124	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	86
121.	प्र.पी.125	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	504
122.	प्र.पी.126	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	61
123.	प्र.पी.127	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	26.03.22	181
124.	प्र.पी.128	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	27.03.22	27
125.	प्र.पी.129	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	27.03.22	19
126.	प्र.पी.130	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	27.03.22	649
127.	प्र.पी.131	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	27.03.22	38
128.	प्र.पी.132	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	27.03.22	639
129.	प्र.पी.133	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	27.03.22	742
130.	प्र.पी.134	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	28.03.22	639
131.	प्र.पी.135	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	28.03.22	120
132.	प्र.पी.136	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	28.03.22	201
133.	प्र.पी.137	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	28.03.22	61
134.	प्र.पी.138	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	28.03.22	590
135.	प्र.पी.139	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	28.03.22	288

136.	प्र.पी.140	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	28.03.22	696
137.	प्र.पी.141	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	28.03.22	796
138.	प्र.पी.142	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	29.03.22	585
139.	प्र.पी.143	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	29.03.22	159
140.	प्र.पी.144	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	29.03.22	59
141.	प्र.पी.145	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	29.03.22	228
142.	प्र.पी.146	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	29.03.22	1606
143.	प्र.पी.147	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	29.03.22	116
144.	प्र.पी.148	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	29.03.22	574
145.	प्र.पी.149	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	30.03.22	654
146.	प्र.पी.150	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	30.03.22	1001
147.	प्र.पी.151	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	30.03.22	71
148.	प्र.पी.152	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	30.03.22	196
149.	प्र.पी.153	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	30.03.22	60
150	प्र.पी.154	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	30.03.22	59
151.	प्र.पी.155	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	30.03.22	61
152.	प्र.पी.156	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	30.03.22	1020
153.	प्र.पी.157	श्री भैरवनाथ फार्मा की रसीद	31.03.22	40
154.	प्र.पी.158	श्री भैरवनाथ फार्मा की रसीद	31.03.22	49
155.	प्र.पी.159	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	15.04.22	539
156.	प्र.पी.160	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	15.04.22	1324
157.	प्र.पी.161	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	15.04.22	101
158.	प्र.पी.162	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	15.04.22	113
159.	प्र.पी.163	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	15.04.22	60
160.	प्र.पी.164	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	15.04.22	85
161.	प्र.पी.165	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	16.04.22	53

162.	प्र.पी.166	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	16.04.22	61
163.	प्र.पी.167	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	16.04.22	601
164.	प्र.पी.168	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	16.04.22	50
165.	प्र.पी.169	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	16.04.22	420
166.	प्र.पी.170	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	16.04.22	511
167.	प्र.पी.171	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	17.04.22	61
168.	प्र.पी.172	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	17.04.22	279
169.	प्र.पी.173	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	17.04.22	651
170.	प्र.पी.174	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद (डबल पी–172)	17.04.22	0
171.	प्र.पी.175	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	17.04.22	408
172.	प्र.पी.176	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	17.04.22	114
173.	प्र.पी.177	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	17.04.22	437
174.	प्र.पी.178	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	17.04.22	461
175.	प्र.पी.179	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	17.04.22	61
176.	प्र.पी.180	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	18.04.22	175
177.	प्र.पी.181	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	18.04.22	519
178.	प्र.पी.182	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद (डबल पी–181)	18.04.22	0
179.	प्र.पी.183	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	18.04.22	396
180.	प्र.पी.184	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	18.04.22	419
181.	प्र.पी.185	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	18.04.22	77
182.	प्र.पी.186	शिवम मेडीकल स्टोर की रसीद	18.04.22	521
183.	प्र.पी.187	परिधि हॉस्पीटल की डिस्चार्ज स्लिप	11.04.22	0
184.	प्र.पी.188	सिरोही स्कैन सेंटर की रिपोर्ट	23.02.22	0
185.	प्र.पी.189	परिधि हॉस्पीटल का प्रिस्क्रिप्शन		0
186.	प्र.पी.190	शुभम हॉस्पीटल का प्रिस्क्रिप्शन		0

187.	प्र.पी.191	गुप्ता ऑर्थों हॉस्पीटल का प्रिस्क्रिप्शन	22.03.22	0
188.	प्र.पी.192	एमपायर डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट	23.03.22	0
189.	प्र.पी.193	एमपायर डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट	23.03.22	0
190.	प्र.पी.194	एमपायर डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट	23.03.22	0
191.	प्र.पी.195	एमपायर डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट	23.03.22	0
192.	प्र.पी.196	एमपायर डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट	23.03.22	0
193.	प्र.पी.197	आर.एन.ए.पैथलैब की रिपोर्ट	25.03.22	0
194.	प्र.पी.198	आर.एन.ए. पैथलैब की रिपोर्ट	27.03.22	0
195.	प्र.पी.199	शुभम हॉस्पीटल की रसीद	29.03.22	10000
196.	प्र.पी.200	शुभम हॉस्पीटल की रसीद	30.03.22	15000
197.	प्र.पी.201	शुभम हॉस्पीटल की रसीद	24.03.22	45000
198.	प्र.पी.202	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर का प्रिस्क्रिप्शन	31.03.22	0
199.	प्र.पी.203	समृद्धी पैथालॉजी की रिपोर्ट	01.04.22	0
200.	प्र.पी.204	समृद्धी पैथालॉजी की रिपोर्ट	01.04.22	0
201.	प्र.पी.205	परिधि हॉस्पीटल एण्ड केयर का प्रिक्रिप्शन	19.04.22	0
202.	प्र.पी.206	डॉ. अभिलेख मिश्रा की रसीद	02.07.22	5000
203.	प्र.पी.207	न्यूरोफिजियोलोजिकल डॉग्नोस्टिक क्लीनिक की रसीद	01.08.22	3500
204.	प्र.पी.208	सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर का पंजीकरण फार्म		0
		कुल योग		**6,12,835**

48- आवेदक की ओर से उक्त बिल एवं पर्चों का अवलोकन करने पर प्रदर्श पी–8 की राशि पी–9 में, प्रदर्श पी–13 की राशि पी–14 में, प्रदर्श पी–16, 17 की राशि पी–15 में, प्रदर्श पी–19, 20,

21 की राशि प्रदर्श पी–18 में, प्रदर्श पी–25, 26 की राशि प्रदर्श पी–24 में, प्रदर्श पी–28 की राशि प्रदर्श पी–27 में, प्रदर्श पी–30 की राशि प्रदर्श पी–29 में, प्रदर्श पी–31, 32 की राशि प्रदर्श पी–33 में, प्रदर्श पी–34 की राशि प्रदर्श पी–35 में, प्रदर्श पी–40 की राशि प्रदर्श पी–41 में, प्रदर्श पी–44 की राशि प्रदर्श पी–45 में, प्रदर्श पी–47 की राशि प्रदर्श पी–46 में प्रदर्श पी–49 की राशि प्रदर्श पी–48 में, प्रदर्श पी–50 की राशि प्रदर्श पी–51 में, प्रदर्श पी–53 की राशि प्रदर्श पी–54 में, प्रदर्श पी–61, 62 की राशि प्रदर्श पी–60 में प्रदर्श पी–64 की राशि प्रदर्श पी–65 में समायोजित होने से तथा प्रदर्श पी–156 का बिल रिटर्न दवाईयों का बिल है, प्रदर्श पी–174 व प्रदर्श पी–172 एवं प्रदर्श पी–181 व प्रदर्श पी–182 डबल बिल है, प्रदर्श पी–199, पी–200, पी–201 की रसीदें एडवांस की रसीदें है जो प्रदर्श पी–71 के मूल बिल में समाहित हैं। अतः प्रदर्श पी–8, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 44, 47, 49, 50, 53, 61, 62, 64, 156, 174, 182, 199, 200, 201 की राशि आवेदक को दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। शेष बिल एवं पर्चे आवेदक के उपचार अवधि व चोट की प्रकृति के आधार पर संतोषप्रद व स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। अतः अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदक उपचार व्यय के रूप में कुल राशि रूपये 5,41,810/– प्राप्त करने का अधिकारी है

49- जहाँ तक भविष्य में उपचार व्यय की संभावना है, इस संबंध में आवेदक की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की

है। उसे भविष्य की उपचार की आवश्यकता है इस संबंध में भी कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है इसलिये उसे भविष्य के उपचार के लिये कोई राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आवागमन खर्च, पोष्टिक आहार व विविध खर्च

50- आवेदक को प्रश्नगत दुर्घटना में मुख्य रूप से दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक को घोर उपहति कारित हुई है। ऐसी स्थिति में आवेदक को आई चोटों की प्रकृति व उपचार अवधि के आधार पर उसे आवागमन खर्च, पोष्टिक आहार व विविध खर्च के रूप में रूपये 20,000/- (बीस हजार) दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

गैर वित्तीय हानि

51- आवेदक को प्रश्नगत दुर्घटना में मुख्य रूप से दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक को घोर उपहति कारित हुई है। आवेदक को आई चोटों के परिणामस्वरूप निश्चित रूप से उसे काफी शारीरिक व मानसिक कष्ट सहन करना पड़ा है, इसलिए चोट की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस मद में उसे कुल रूपये 20,000/- (बीस हजार) दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

52- अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक को प्रतिकर के रूप में निम्नानुसार राशि दिलाई जा सकती थी :-

क0	मद	राशि
1	स्थाई अशक्तता की हानि	10,87,733

2	उपचार में हुआ व्यय	5,41,810
3	आवागमन खर्च, पोष्टिक आहार व विविध खर्च	20,000
4	गैर वित्तीय हानि – शारीरिक व मानसिक पीड़ा व रमणीयता की हानि	20,000
	कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपये	**16,69,543**

53- अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदक कुल प्रतिकर राशि रूपये **16,69,543/– (सोलह लाख उन्हत्तर हजार पांच सौ तिरतालिस)** प्राप्त करने का अधिकारी है।

दायित्व निर्धारण

54- कथित दुर्घटना ट्रक क्रमांक–एम.पी.06–एच.सी.0989 के चालक अनावेदक क्र.01 की उपेक्षा एवं उतावलेपन के कारण घटित होना प्रमाणित हुई है, और दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.01 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी था, इसलिए अनावेदक क्र.01 क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए दायित्वाधीन है। प्रकरण में वादप्रश्न क्रमांक–04 के विवेचन से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रश्नगत दुर्घटना कारित करने वाला वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.02 बीमा कंपनी के यहॉ बीमित था तथा प्रकरण में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः अनावेदक क्र.2 भी उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु दायित्वाधीन है।

55- अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदक,

अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः कुल प्रतिकर राशि रूपये **16,69,543/– (सोलह लाख उन्हत्तर हजार पांच सौ तिरतालिस)** पाने का अधिकारी है। तद्‌नुसार यह वाद प्रश्न आवेदक के पक्ष में **''आंशिक रूप से प्रमाणित''** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक–(7)–:

56- उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

(क) अनावेदकगण को आदेशित किया जाता है कि वे संयुक्ततः एवं पृथकतः आवेदक को प्रतिकर राशि कुल **16,69,543/– (सोलह लाख उन्हत्तर हजार पांच सौ तिरतालिस)** रूपये दो माह में अदा करें।

(ख) अनावेदकगण उक्त राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 28.09.2022 से रूपये अदा करने की दिनांक तक छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें।

(ग) उक्त अधिनिर्णय राशि जमा होने पर आवेदक के उपचार खर्च आदि को देखते हुए उसे सम्पूर्ण राशि बचत बैंक खाते के माध्यम से नकद अदा की जावे।

(घ) अनावेदकगण, आवेदक का दावे का व्यय वहन करेंगे।

(ड़) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाण पत्र अनुसार या रूपये 2,000/- (दो हजार) जो भी कम हो व्यय में जोड़ी जावे।

पृथक से व्यय पत्रक बनाया जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।
सही/-
(साबिर अहमद खान)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
ग्वालियर, म0प्र0

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
सही/-
(साबिर अहमद खान)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
ग्वालियर, म0प्र0

SABIR AHMAD KHAN
Digitally signed by SABIR AHMAD KHAN
Date: 2025.10.28 15:45:32 +0530